न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला–अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 – 07 सन् 2016

श्री देवी वल्द काना जाति मेरात निवासी– ग्राम रूपारेल पोस्ट पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एंव लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब,मसूदा जिला अजमेर

अप्रार्थी

श्री सलीम बाबू
वकील प्रार्थी उप0

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांकः–12.11.2016

प्रार्थी ने सारांशत निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम श्री काना वल्द हंजा जाति मेरात है। जो मौजा रानीसागर पटवार क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की अन्य आराजीयात मे अंकित चला आता है लेकिन ख0न0 4063/3423 रक्बा 10 बिस्वा मे सहवन से उनका नाम काना वल्द हमीरा जाति रावत अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी के पिता स्व0 काना वल्द हंजा अनपढ व्यक्ति थे। इसलिए उन्होने इस बाबत कोई कार्यवाही नही की उनकी मृत्यू के बाद राजस्व अभिलेख की नकले लेने पर जानकारी हुई। अतः प्रा0 पत्र पेश किया जा रहा है स्वीकार कर दुरस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब प्रा0 पत्र मे अप्रार्थी ने कथन किये है कि प्रार्थी अपने प्रा0 पत्र कथन स्वंय सिद्व करे। प्रकरण साक्ष्य मे लंबित रहते कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से बहस प्रा0 पत्र वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस मे तर्क प्रा0 पत्र अनुसार ही रहे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि मौजा रानीसागर की जमाबंदी स0 2067 से 2070 खाता स0 54 मे ख0न0 4063/3423 मे काना वल्द हमीरा कोम रावत अंकित है। वही रानीसागर के ही खाता स0 55 ख0न0 3463 व 4062/3423 मे काना वल्द हंजा जाति मेरात अंकित है। ख0न0 4063/3423 मूल ख0न0 3423 का ही पार्ट है इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला सहवन से तफावत का होना पाया जाता है यही नही ग्राम पंचायत ने भी इसकी पुष्टी की है।

अतः प्रा0 प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रानीसागर पटवार क्षेत्र खरवा द्वितीय की जमाबंदी स0 2067–2070 के खाता स0 54 के ख0न0 4063/3423 रक्बा 10 बिस्वा मे काना वल्द हमीरा जाति रावत के स्थान पर काना वल्द हंजा जाति मेरात साकिन पीपलाज मजरा रूपारेल अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार आदेश की अन्दर मयाद 15 दिवस पालना करना सुनिश्चित करावे।

आदेश आज दिंनाक 12.11.16 को राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 17:48:37 IST
Reason: SelfAttested